राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 956/2024

भूदर मल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव–II, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 20.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति रैणी, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला परिषद्, करौली किया गया। अपीलार्थी ह्रदय रोग से पीड़ित है और उसका नियमित उपचार नारायण मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी की पत्नी भी ह्रदय रोग से पीड़ित है और उसका नियमित उपचार नारायण मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लम्बित नहीं है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को पदस्थापित नहीं किया गया और पद अभी भी खाली पड़ा है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति रैणी, अलवर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति रैणी, अलवर से जिला परिषद्, करौली किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 25.09.2019 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को राज्यहित/लोकहित में यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय करते हुए वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात अपीलार्थी के पद के अनुरूप स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है और नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां ले। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की नियम विरूद्धता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य